कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री भंवरलाल व अन्य | **विपक्षी** श्री खेमराज व अन्य
कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम' | **प्रकरण संख्या** 04/2025

कार्यवाही विवरण

–::निर्णय::–

दिनांक 26/03/25

उपस्थितः– श्री भगवतीलाल सुथार अधिवक्ता–प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि मौजा ईडाणा पटवार हल्का ईडाणा तहसील सलम्बर मे प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या 301 नया व पुराना 290 कुल किता 09 कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर है। उक्त खाते मे प्रार्थीगण अपने आराजी नम्बर 841, 842, 853, 854 की पत्थरगढी कराना चाहते है क्योंकि उक्त आराजीयात मे विवाद कि स्थिति बनी हुई है पडौसी खातेदार विपक्षी संख्या 1 से 3 तक है जो बार–बार प्रार्थीगण के खाते कि भूमि मे अपना कब्जा करने पर आमादा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के आराजीयात की भूमि पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 4 लगायत 10 बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 29–01–2025 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेवक हाजिर आये जिन्हे जवाब हेतु कई अवसर दिये गये उसके उपरान्त भी जवाब पेश नही किया नही जिस कारण से न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 3 का जवाब बन्द किया गया। विपक्षी सं. 11 भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण के आराजीयात की पत्थरगढी का आदेश किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कराने हेतु तैयार है अतः प्रार्थीगण के आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी का आदेश फरमावे। विपक्षी सं. 11 की बहस अपने जवाब के अनुसार रही।

बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र मे वर्णित मौजा ईडाणा पटवार हल्का ईडाणा की खाता संख्या 301 कुल किता 09 कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 4 से 10 की संयुक्त खातेदारी की होकर राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीगण अपने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री भंवरलाल व अन्य
विपक्षी श्री खेमराज व अ
कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम
प्रकरण संख्या 04/202

	कार्यवाही विवरण
	–:आदेश:– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ईडाणा पटवार हल्का ईडाणा की खाता संख्या 301 मे वर्णित आराजी नम्बर 841/0.07, 842/0.17, 853/0.01, 854/0.07 कुल किता 4 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। तथा पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा करे। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलूम्बर के नाम जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे। निर्णय दिनांक 26/03/25 को सरे ईजलास सुनाया गया। (शान्ति लाल जैन RAS) उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर